



DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

(constituted under the 'Legal Services Authorities Act,1987', an Act of Parliament)

Under the Administrative Control of High Court of Delhi

Central Office, 3rd Floor, Rouse Avenue District Court Complex,

Pt. Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002

Email :lokadalatwing-dlsa@nic.in, website : www.dlsa.org.



No. 03/DSLSA/ADR W/PLA/2025/297(VIG.)

Dated: 07/11/2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 22-B(1) of the Legal Services Authorities, 1987 and in pursuance of the approval dated 22.02.2025 of Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi & Patron-in-Chief, Delhi State Legal Services Authority (DSLSA), the following existing Permanent LokAdalats shall have jurisdiction over **all public utility services** disputes under Section 22A(b) of the Legal Services Authorities Act, 1987, including those services which have been declared as public utility services by the Central Government and the Government of NCT of Delhi (GNCTD), with effect from the date of the notification:

SN	Name of Permanent LokAdalat	Located at	Public Utility Service
1	Permanent LokAdalat-I	Sub Station Building 2/13, Sec. 13, Rohini, Delhi-110085 (Near Venkateshwar Global School)	<ul style="list-style-type: none"> (i) <i>Transport Services for the carriage of passengers or goods by air, road or water,</i> (ii) <i>Postal, Telegraph or Telephone Service,</i> (iii) <i>Supply of power, light or water to the public by any establishment,</i> (iv) <i>System of public conservancy or sanitation,</i> (v) <i>Service in Hospital or dispensary,</i> (vi) <i>Insurance Service,</i>
2	Permanent LokAdalat-II	Mata Sundri Lane, Opposite Aiwan-e-Ghalib, ITO, New Delhi-110002	<p><i>Vide notification F. No.A-60011/37/2004-Admn.III(LAP-JUS), dated 16.02.2016, of Central Government, in the public interest, declared following services to be public Utility Services, namely:-</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Education or Education Institutions,</i> (b) <i>Housing and Real Estate Services</i> <p><i>Further, vide notification no. F.I/02/2025-Judl./Suptlaw/1406-1408, Dated 06.08.2025 issued by Government of NCT of Delhi, in the public interest, following services have been declared to be Public Utility Services, namely:-</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>Banking Service,</i> (ii) <i>Service of non-banking financial companies (NBFCs),</i> (ii) <i>Supply of Gas Service</i>
3	Permanent LokAdalat-III	PVR Road, G-Block, Near PVR, VikasPuri, New Delhi-110018	

By orders of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi & Patron-in- Chief, DSLSA.

(RAJEEV BANSAL)
MEMBER SECRETARY, DSLSA



दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

(“विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत संस्थापित संसद का अधिनियम

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्यन्त्रित

केन्द्रीय कार्यालय, तुतीय तल, राजस एवेन्यू, जिला न्यायालय परिसर, मंडिल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002 -

ईमेल: estabwing-dlsa@nic.in वेबसाइट : www.dlsa.org



सेवा समाधान समर्पण

संदर्भ संख्या 03/डीएसएलएसए/एडी आर डब्ल्यू/पीएलए/2025/297(VIG.)

दिनांक: 07/11/2025

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22.02.2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रधान, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की स्वीकृति के अनुपालन में, निम्नलिखित वर्तमान स्थायी लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22A(ख) के अंतर्गत लोक उपयोगी सेवा से संबंधित सभी वादों पर, जिन सेवाओं को भारत सरकार एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है, अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है, जो इसअधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा:

क्रम संख्या	स्थायी लोक अदालत का नाम	स्थान	लोक उपयोगी सेवा
1	स्थायी लोक अदालत-I	सब स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085 (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास)	(i) वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए यातायात सेवा, (ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा, (iii) किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, (iv) सार्वजनिक मल-निष्कासन या स्वच्छता प्रणाली, (v) अस्पताल या औषधालय सेवा, (vi) बीमा सेवा
2	स्थायी लोक अदालत-II	माता सुंदरी लेन, एवान-ए-गालिब के सामने, आईटीओ, नई दिल्ली-110002	दिनांक 16.02.2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं. F. No.A-60011/37/2004-Admn.III(LAP-JUS) के माध्यम से, जनहित में निम्नलिखित सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया गया है, अर्थात्-
3	स्थायी लोक अदालत-III	पीवीआर रोड, जी-ब्लॉक, पीवीआर के पास, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018	(क) शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों (ख) आवास और भू संपदासेवा इसके अतिरिक्त, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (GNCTD) द्वारा दिनांक 06.08.2025 की अधिसूचना सं. F.1/02/2025-Judl./Suptlaw/1406-1408 के माध्यम से, जनहित में निम्नलिखित सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया गया है, अर्थात्- (i) बैंकिंगसेवा, (ii) गैर-बैंकिंगवित्तीयकंपनियों (एनबीएफसी) कीसेवा, (iii) गैससेवाकीआपूर्ति

माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रधान, डीएसएलएसए के आदेश से

(राजीव बंसल)
सदस्य सचिव, डीएसएलएसए